दूसरे राज्यों से प्रवासियों के जयपुर आने एवं यहां से अन्य जिलों में जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी -जिले के सभी श्रमिक कैम्पों से श्रमिक दूसरे जिलों एवं गृह राज्यों में रवाना

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
LK-4-5-2020-6.docx (http://103.203.138.54/news/206353/document/LK-4-5-2020-6.docx)

DESCRIPTION

दूसरे राज्यों से प्रवासियों के जयपुर आने एवं यहां से अन्य जिलों में जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी
-जिले के सभी श्रमिक कैम्पों से श्रमिक दूसरे जिलों एवं गृह राज्यों में रवाना

जयपुर, 4 मई। जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने जयपुर जिले में आने वाले प्रवासियों एवं जयपुर जिले से राजस्थान के अन्य जिलों एवं राज्यों में जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं।

जिला कलक्टर ने बताया कि जयपुर जिले के विभिन्न कैम्पो (शेल्टर होम) में रह रहे राजस्थान के अन्य जिलों के श्रमिकों, प्रवासियों को विभिन्न माध्यमों से सम्बन्धित जिलो में भिजवा दिया गया है। साथ ही जयपुर जिले के विभिन्न कैम्पो (शेल्टर होम) में अब तक निवास कर रहे अन्य राज्यों के अधिकांश श्रमिकों एवं प्रवासी व्यक्तियों को सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी तथा सीमावर्ती जिले के कलक्टर्स से समन्वय कर उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है।

उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुरूप अन्य राज्यों से राजस्थान आने वाले व्यक्तियों ने अपने वर्तमान मूल स्थान (राज्य) में रजिस्ट्रेशन कराया है। वे एकीकृत कॉल सेन्टर 1800-180-6127, emitra.rajasthan.gov.in तथा rajcovidinfo मोबाईल एप पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनके द्वारा जयपुर जिले में अन्य राज्यो से आने वाले तथा अन्य राज्यों को जाने वाले प्रवासियों की संख्या, नाम व अन्य विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य राज्यों से जयपुर जिले में आने हेतु सम्बन्धित राज्यों की सहमति नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। सहमति बाद ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वयं के या किराये के वाहन अथवा उनके स्तर पर बंदोबस्त किये गये वाहनों से आना अनुमत किया गया है।

सम्बन्धित राज्य की सहमति के बाद स्वयं के, किराये के या बन्दोबस्ती वाहन की सूचना emitra.rajasthan.gov.in पोर्टल पर प्राप्त होने पर जिले के अधिकृत अधिकारी द्वारा आनॅलाईन एन.ओ.सी. जारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति कन्टेनमेंट जोन अथवा कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र से नहीं आ सकेगें। इसके अलावा उन्हें सम्बन्धित राज्यों में समुचित स्क्रीनिंग के बाद Asymptomatic पाये जाने पर ही आने दिया जायेगा।
जयपुर जिले से अन्य जिलों या राज्यों को जाने वाले प्रवासी
राजस्थान से अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों द्वारा एकीकृत कॉल सेन्टर 1800-180-6127, emitra.rajasthan.gov.in तथा rajcovidinfo मोबाईल एप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इससे जयपुर जिले से अन्य राज्यों को जाने वाले प्रवासियों की संख्या, नाम व अन्य विस्तृत विवरण जिला प्रशासन के पास उपलब्ध है।

जिला कलक्टर ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जयपुर से अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में सम्बन्धित राज्य की सहमति नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। सम्बन्धित राज्य की सहमति के बाद ईमित्र/एप के माध्यम से पास/एन.ओ.सी जारी की जा रही है। विभिन्न राज्यों की सहमति उपरान्त अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों की शतप्रतिशत स्क्रीनिंग एवं जांच सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के बीच समय-समय पर विभिन्न शहरों के मध्य विशेष यात्री रेल चलायी जा रही है। राज्य स्तर से ऐसी रेलों के संचालन की सूचना मिलने के पश्चात चयनित व्यक्तियों को ईमित्र पोर्टल/दूरभाष से सूचित किया जायेगा। इसके बाद उसे स्वयं के वाहन/साधन तथा यथा समय निर्देशित वाहनों के माध्यम से सम्बन्धित रेल्वे स्टेशन पर पंहुचना सुनिश्चित किया जायेगा। राजस्थान के अन्य जिलों को जाने वाले श्रमिकों के लिए भी ये व्यवस्थाए की जा रही हैं एवं इसकी सूची संबंधित जिले के जिला कलक्टर, जिला नोडल अधिकारी को भेजी जा रही है।

डॉ.जोगाराम ने बताया कि सम्पूर्ण प्रकिया एवं कार्यवाही के दौरान आने-जाने वाली बसों एवं रेल मार्ग से यात्रा के दौरान सोशियल डिस्टेन्सिंग एवं इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है।

SUPPORTING IMAGES

Copyright © 2016 Information and Public Relations Department. All Right Reserved.

Last Updated On: **7/5/2020**
You are visitor No.:

0018414446

Website Policies (/content/dipr/en/websitepolicies.html) | Disclaimer (/content/dipr/en/disclaimer.html) |

Accessibility (/content/dipr/en/accessibility.html) | Sitemap (/content/dipr/en/sitemap.html)

Nodal Officer: **Sh. Arun Kumar Joshi**

Designation : Joint Director(News)

Mobile Number : 9610409010

Email: dpr-comp-rj@nic.in

This website belongs to Information and Public Relations Department

We're on social networks

(https://www.facebook.com/DIPRRajasthan/) (https://twitter.com/dipr_rajasthan) (https://www.instagram.com/diprrajasthan/) (https://www.youtube.com/channel/UC2oIZW3EmG59rjejhn

(https://validator.w3.org/) (https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer)